-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.02.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2020 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत बच्चे की हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन कारावास व कुल 54 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2020 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत बच्चे की हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व कुल 54 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 12.11.2020 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी की रहने वाली ममता पत्नी महेश के बच्चे की हत्या किये जाने के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 906/20 धारा 201/302/34/364 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री नन्दराम प्रजापति द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री जय प्रकाश साहू द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी नितीश कुमार तथा पैरोकार आरक्षी सुजीत के अथक प्रयासों से तीनो अभियुक्तो को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा आजीवन कारावास व 18-18 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **पप्पू पुत्र अशोक निवासी कांशीराम कॉलोनी,निम्नीपार थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।**
2. **सोनू पुत्र अशोक निवासी कांशीराम कॉलोनी,निम्नीपार थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।**
3. **बाला प्रसाद पुत्र रामकिशोर निवासी मर्दननाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।**